(अनवान समीर खुराना बनाम डूंगर राम
राजस्व वाद संख्या :– 57/2020)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग — — वादीगण
2. श्री दिनेश छाबड़ा — प्रतिवादी संख्या 11 व 12
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 13

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवानी प्रतिवाद पत्र पूर्व में वाद पत्र अनवानी समिर खुराना बनाम डूंगरराम आदि में प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद पत्र अनवानी समीर खुराना बनाम डूंगरराम आदि में वादी समीर खुराना ने दिनांक 06.09.2023 को वाद पत्र अपनी हद तक निरस्त करवा लिया गया था जिसके उपरांत प्रतिवादी संख्या 5 व 6 मोहित वधवा एवं आस्था वधवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र को सुनवाई हेतु निश्चित कर दिया गया था। उक्त प्रतिवाद पत्र के विचाराधीन रहते वर्तमान खाता संख्या 64/55 के सहखातेदारो द्वारा कृषि भूमि विक्रय किए जाने एवं प्रतिवादी देवीलाल की मृत्यु होने के उपरांत विरासतन इंतकाल दर्ज होने से सह खातेदार भिन्न हो चुके है जिस हेतु वर्तमान सहखातेदारो को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो श्रीमान् न्यायालय द्वारा स्वीकार कर संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रकार उक्त अनवानी संशोधित वाद पत्र पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र के अधीन प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि दो प्रतियों में शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रस्तुत है। चक 2 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 64/ 55 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 5.880 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त संयुक्त खाता संख्या 64/55 की कुल 5.880 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में 0.348 व 0.348 हैक्टेयर यानि कुल 0.696 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम भिन्न–भिन्न हिस्सो में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है। उपरोक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि वादीगण की केवल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप में दर्ज है परन्तु सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति स्वरूप मौखिक विभाजन कर वादीगण को चक 2 एम0एल, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 19 की 0.169 हैक्टेयर (किला नम्बर 20 व 22 के साथ चिपकता हुआ), किला नम्बर 20 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/1 में 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 में 0.110 हैक्टेयर (किला नम्बर 21/1 एवं 22/2 का 0.110 हैक्टेयर सूरतगढ–हनुमानगढ बाईपास रोड पर लगता हुआ) कब्जा काश्त में प्रदान कर दी गई जिसकी कब्जा काश्त वादीगण के पास प्रतिवादीगण की सहमति स्वरुप निर्विवाद रूप से चली आ रही है जिसपर वादीगण काबिज काश्त है एवं मौका पर अथक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

मेहनत व काफी राशि खर्च कर उक्त भूमि को सुधार किया गया है। वादाधीन कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते में है [illegible] वादाधीन को काश्त करने, कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, भूमि के उपयोग–उपभोग करने एवं अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वादाधीन कृषि भूमि शहर के नजदीक स्थित होने के कारण भी भूमि अधिक मूल्यवान होने के कारण कब्जा अनुसार विभाजन करवाना अति आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में सहकाश्तकारों के मध्य किसी किस्म का कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो। इस कारण वादीगण वादाधीन कृषि भूमि के अपने नाम दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन कब्जा काश्त अनुसार करवाकर व उक्त मुरब्बा विशेष–किला विशेष का अंकन अपने नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा खाता अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त वादाधीन कृषि भूमि का अपनी अपनी कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवा खाता उसी अनुरूप पृथक करवा जमाबंदी में दर्ज करवाने हेतु कई बार मौखिक व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जा काश्त भूमि में दखल अंदाजी न करे । वाद पत्र चक 2 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कृषि भूमि के घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एंव उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण, विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एंव आज्ञाप्ति किया जावेः–

(क) यह कि इस अमर की प्रारम्भिक डिक्री विभाजन बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके चक 2 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/55 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 5.880 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के सम्वंध में पारित की जाकर समस्त सहकाश्तकारो के हिस्से वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार निर्धारित किये जावें।

(ख) यह कि प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार अर्थात वादीगण मौके पर संयुक्त रुप से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 19 की 0.169 हैक्टेयर (किला नम्बर 20 व 22 के साथ चिपकता हुआ), किला नम्बर 20 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/1 में 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 में 0.110 हैक्टेयर (किला नम्बर 21/1 एवं 22/2 का 0.110 हैक्टेयर सूरतगढ–हनुमानगढ बाईपास रोड पर लगता हुआ) को वादीगण को प्रदान किये जाने की अंतिम डिक्री जारी की जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किये जावें तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का खाता पृथक कर अंकन किये जाने हेतु डिक्री पारित की जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

(ग) यह कि इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को बाद विभाजन प्राप्त किला विशेष की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण स्वंय या अन्य किसी की सहायता से वादीया की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश या मदाखलत न करें।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यहकि मद संख्या 1 वाद पत्र मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। मद संख्या 2 वाद पत्र में अंकित तथ्य मुताबिक रिकॉर्ड इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि संयुक्त खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 5.880 है. भूमि में प्रतिवादी विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम से 1909/5880 हिस्सा अर्थात 1.909 है. अर्थात 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकॉर्ड है एवं इसी प्रकार से प्रतिवादी सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के नाम से 1151/5880 अर्थात 1.151 है. अर्थात 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्तानुसार दोनो के नाम से कुल 3.060 है. अर्थात 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मद संख्या 3 वाद पत्र में अंकित तथ्य इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि संयुक्त खाता में दर्ज भूमि का मौका पर हुए आपसी सहमति स्वरूप मौखिक विभाजन में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के कब्जा काश्त में तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम. एल. का खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 1 सालम, 2 सालम, 3 सालम, 4 सालम, 5 सालम, 9 में 11 बिस्वा, 10 सालम, 11 सालम, 12 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 सालम, 19 में 0.084 है. अर्थात लगभग 6.66 बिस्वा किला नम्बर 18 से चिपते हुए लम्बाई में एवं 22/2 में 0.054 है. अर्थात लगभग 4.34 बिस्वा किला नम्बर 23 से चिपते हुए लम्बाई में उपरोक्तानुसार कुल 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि आयी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित तथ्यों से कोई विरोधाभास नहीं है अतः स्वीकार है । प्रतिवादीगण विवेक अग्रवाल एवं सुरेश शाह वादाधीन संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अपने कब्जा काश्त की भूमि का उपरोक्तानुसार विभाजन करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर पृथक जमाबन्दी एवं पृथक लगान निर्धारित करवा पाने के अधिकारी है जिस हेतू काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादीगण मौका पर हुए आपसी सहमति विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने हेतू तैयार व तत्पर है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज काश्त है तथा वादीगण की भूमि में मदालखत नहीं करते है। वादीगण का वाद आज्ञप्ति के साथ साथ प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी आज्ञाप्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के कब्जा काश्त की भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम. एल. का खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 1 सालम, 2 सालम, 3 सालम, 4 सालम, 5 सालम, 9 में 11 बिस्वा 10 सालम, 11 सालम, 12 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 सालम, 19 में 0.084 है. अर्थात लगभग 6.66 बिस्वा किला नम्बर 18 से चिपते हुए लम्बाई में एवं 22/2 में 0.054 है. अर्थात लगभग 4.34 बिस्वा किला नम्बर 23 से चिपते हुए लम्बाई में उपरोक्तानुसार कुल 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि का विभाजन कर पृथक जमाबन्दी तैयार करवाने, पानी की बारी अलग कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने एवं पृथक लगान निर्धारित करने के विधिसम्मत आदेश काउन्टर क्लेम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

के अन्तर्गत पारित किये जावें । काउन्टर क्लेम जवाब का हिस्सा है।काउन्टर क्लेम – प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 के पंजीकृत पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 विवेक अग्रवाल एवं 12 सुरेश शाह के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम. एल. का खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 5.880 है. संयुक्त खाता की भूमि में से प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम से 1909/5880 हिस्सा अर्थात 1.909 है. अर्थात 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकॉर्ड है एवं इसी प्रकार से प्रार्थी/प्रतिवादी सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के नाम से 1151/5880 अर्थात 1.151 है. अर्थात 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्तानुसार दोनो के नाम से कुल 3.060 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न काउन्टर क्लेम है। संयुक्त खाता की भूमि का मौका पर आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है एवं प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के कब्जा काश्त में तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम. एल. का खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 1 सालम, 2 सालम, 3 सालम, 4 सालम, 5 सालम, 9 में 11 बिस्वा 10 सालम, 11 सालम, 12 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 सालम, 19 में 0.084 है. अर्थात लगभग 6.66 बिस्वा जो कि मौका पर किला नम्बर चिपते हुए लम्बाई में एवं 22/2 में 0.054 है. अर्थात लगभग 4.34 बिस्वा अर्थात पौने पांच बिस्वा किला नम्बर 23 से चिपते हुए लम्बाई में उपरोक्तानुसार कुल 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि आयी है जिस पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण मौका पर काबिज काश्त है एवं मौका पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की फसल काश्त की हुई है। खाता संयुक्त होने के कारण काश्त करने में, पानी की बारी लगाने में एवं राज्य सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पडता है जिसका एकमात्र विकल्प मौका पर कब्जा काश्त अनुसार उक्त वर्णित भूमि का विभाजन है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा कई मरतबा सहकाश्तकारान को मौका पर हुए आपसी सहमति से विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर पृथक पृथक जमाबन्दी तैयार करवाने एवं पृथक पृथक लगान का निर्धारण करवाने हेतू कहे जाने पर सभी टालमटोल करते रहे एवं अब मौजूदा वाद की जानकारी होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जवाब वाद पत्र के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का हेतूक प्राप्त हुआ है। काउन्टर क्लेम विभाजन का है जिसे सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। काउन्टर क्लेम अन्दर मियाद उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा जवाब क्लेम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं संख्या 12 सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण आज्ञाप्त फरमाया जावे तो कोई विरोधाभास नहीं है एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 स्वीकार फरमाया जाकर विभाजन का अनुतोष बहक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 पारित किया जाकर विभाजन में मौका पर हुए आपसी सहमति से विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 विवेक अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 सुरेश शाह पुत्र श्री शिवप्रसाद शाह के कब्जा काश्त की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम. एल. का खाता संख्या 64/55, मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 1 सालम, 2 सालम, 3 सालम, 4 सालम, 5 सालम, 9 में 11 बिस्वा 10 सालम, 11 सालम, 12 सालम, 13 सालम, 14 सालम, 15 सालम, 19 में 0.084 है. अर्थात लगभग 6.66 बिस्वा जो कि किला नम्बर 18 से चिपते हुए लम्बाई में एवं 22/2 में 0.054 है. अर्थात लगभग 4.34 बिस्वा जो कि किला नम्बर 23

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

से चिपते हुए लम्बाई में उपरोक्तानुसार कुल 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 के नाम से जमाबन्दी में पृथक से अंकन करने एवं लगान पृथक निर्धारित करने के आदेश पारित किये जावें । अन्य कोई न्यायोचित आदेश माननीय न्यायालय प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 के पक्ष में पारित करना उचित समझे तो पारित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की विधिवत तामील होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवं काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता वकील प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार विभाजन करवाना चाहते हैं। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से जमाबन्दी अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 चक 2 एमएल, पटवार हल्का 2 एमएल, भू.अ.नि.क्षेत्र. श्रीगंगानगर, खाता संख्या 65/55 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी है एवम् वादीगण एवं काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 11 व 12 भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादीगण एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 11 ता 12 प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 3974 दिनांक 02.06.2025 के विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। अतः वादी प्रस्तुत वाद एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 11 व 12 मुताविक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को मुताबिक प्रस्ताव वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	मोहित वधवा पुत्र सतेन्द्रपाल, आस्था वधवा पुत्री रूप चन्द्र वधवा जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर खातेदार ब.हि.ब.	चक 2 एमएल के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 19(0.169 हैक पश्चिमी), 20(0.253 हैक.), 21/1(0.164 हैक.), 22/2(0.110 हैक. पश्चिमी) कुल 0.696 हैक्टर नहरी

खण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

([illegible] वाद संख्या – 51/[illegible])

2	सुरेश शाह पुत्र शिव प्रसाद शाह जाति अग्रवाल निवासी आर.एस. 8 रिद्धि सिद्धि श्रीगंगानगर 1151/3060 हिस्सा, विवेक अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर 1909/3060 हिस्सा	चक 2 एसएसएल मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 5(1.265 हैक.), 9(0.139 हैक. गैरमुमकिन), 10 ता 15(1.518 हैक.), 19(0.084 हैक. पूर्ती), 22/2(0.054 हैक. पूर्ती) कुल 3.060 हैक्टर नहरी
3	सूर्य चन्द वगैरा– सुरजभान पिसरान नत्थुराम, निर्मला देवी पुत्री नत्थूराम, परमेश्वरी देवी पत्नी नत्थूराम 0.696 ब.हि.ब., राजकुमार– रवि कुमार पिसरान डुंगरराम, प्रमिला– पूनमवती पुत्रियां डुंगरराम, साजना देवी पत्नी डूंगरराम 0.872 ब.हि.ब., विजय पुत्र देवीलाल 0.556 हैक्टर जातियान कुम्हार निवासी देह खातेदार	चक 2 एसएसएल मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 6 ता 8(0.759 हैक.), 9(0.114 हैक. पूर्ती), 16 ता 18(0.759 हैक.), 23/1(0.164 हैक.), 24/2(0.164 हैक.), 25/1(0.164 हैक.), कुल 2.124 हैक्टर नहरी

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.06.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)